



No. 617/NFA-2017/40.21/MCT Phase-I (3) (3rd Cycle)

Date: 09 July, 2018

To

The Chief Secretary
Government of Chhattisgarh,
DKS Bhawan, Mantralaya, Raipur - 492 001,
Chhattisgarh

Sub: Phase – I (3) Mid-Career Training (MCT) programme for Indian Forest Service officers nomination – regarding.

Sir,

This is to inform you that as a part of civil services reforms, the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Government of India has approved conduct of Phase – I Mid Career Training (MCT) programmes for IFS officers of 7 – 9 years of service in accordance with the recent DoPT Guidelines.

The third course of Phase – I MCT programme for the IFS officers of 2009 & 2010 batches and backlog list of officers of senior batches who missed the course in the past on various reasons is proposed to be organized by IGNFA in the current year as per the schedule given as under:-

Complete duration	Management Module at IIM, Lucknow	Line Ministries Attachment at Delhi	Thematic tour	Forestry Module at IGNFA
10 th September to 06 th October, 2018 (4 weeks)	10 th to 16 th September, 2018	17 th to 20 th September, 2018	21 st to 30 th September, 2018	01 st to 06 th October, 2018

2. *IGNFA has finalized the list for nominations to the aforesaid third course of Phase-I programme excluding the officers who has less than three years of service left after the year in which he/she is supposed to undergo MCT as well as those who have not completed PSUC after induction into IFS on promotion from SFS.*

Accordingly, names of 109 officers have been finalized for the course, in which the officers at S.No. 61 – 109 would be kept in waiting list and would be invited to attend the course, only if any of the first sixty officers drops out or shows his/her unavailability. Otherwise, these officers would be invited in the next course of Phase-I scheduled subsequently.

The complete list of officers for whom the online registration has been opened as first nomination and second nomination is shown in the Annexure – 'I' against S.No. 04 to 109. In case of officers who have missed earlier two nominations to participate in the MCT programme, they may approach the MoEF&CC through the State Government for seeking approval to extend the third nomination to them. The name & other details of such officer(s) is shown in the Annexure – 'I' against S.No. 01 to 03.

While preparing the list, the latest IFS Civil List – 2017 available in the MoEF&CC website has been used. It is, however, likely, that some names especially of those officers inducted into IFS and allotted the relevant Year of Allotment (YoA), subsequent to preparation of the said civil list, might have not been indicated in the list. In view of this, the concerned administrative department and Cadre Controlling Authority may kindly go through the Annexure-'I' and arrange to nominate those eligible officers pertaining to YoA and meeting the criteria for nomination of MCT programme also. Academy shall incorporate these names in subsequent list of nominations after getting confirmation from the MoEF&CC. The State Governments are, however, requested to convey approval of participation for all the officers figuring in the list from their states,



पत्र सं. 617 /स.व.अ.-2017/40.21/एमसीटी फेज-1 (3)(चक्र-3)

दिनांक: 69 जुलाई, 2018

सेवा में,

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ सरकार,
डीकेएस भवन, मंत्रालय,
रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

विषय मिड कैरियर ट्रेनिंग (एमसीटी) के फेज-1(3) के लिए भारतीय वन सेवा अधिकारियों के नामांकन के संबंध में

महोदय,

सूचित किया जाना है कि सिविल सेवाओं की सुधार प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7-9 वर्षों की सेवा-वरिष्ठता वाले भा.व.से. अधिकारियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग के फेज-1 का अनुमोदन किया गया है।

2009 और 2010 बैचों के साथ अन्य वरिष्ठ बैचों के उन अधिकारियों, जो विभिन्न कारणों से पहले इस पाठ्यक्रम में भाग नहीं पाए, के लिए एम.सी.टी. कार्यक्रम के फेज-1 के तीसरे पाठ्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा इसी वर्ष निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाएगा -

संपूर्ण अवधि	भा.प्र.सं. लखनऊ में प्रबंधन मॉड्यूल	दिल्ली में संबंधित मंत्रालयों का दौरा	विषयगत दौरा	इं.गां.रा.व.अ. में वानिकी मॉड्यूल
10 सितंबर से 06 अक्टूबर, 2018 (4 सप्ताह)	10 से 16 सितंबर 2018	17 से 20 सितंबर, 2018	21 से 30 सितंबर, 2018	01 से 06 अक्टूबर 2018

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा फेज-1 के उपरोक्त तीसरे पाठ्यक्रम के लिए नामांकन सूची तैयार कर ली गई है। ऐसे अधिकारियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनकी शेष सेवा इस पाठ्यक्रम के आयोजन के वर्ष के उपरांत तीन वर्ष से कम है अथवा जिन अधिकारियों ने राज्य वन सेवा से पदोन्नति के उपरांत व्यावसायिक कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम (पी.एस.यू.सी.) पूर्ण नहीं किया है।

तदुसार, इस पाठ्यक्रम के लिए 109 अधिकारियों के नाम निश्चित किए गए हैं जिनमें क्रम संख्या 61 से 109 के अधिकारियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है जिन्हें पाठ्यक्रम के लिए तब आमंत्रित किया जाएगा जबकि पहले साठ अधिकारियों में से कुछ अनुपस्थित रहे अथवा उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें। अन्यथा, इन अधिकारियों को फेज-1 के अगले पाठ्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।

जिन अधिकारियों के लिए पहले और दूसरे प्रस्ताव में ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया है, उन सभी के नाम 'संलग्नक-1' के क्रम सं. 4 से 109 तक वर्णित हैं। ऐसे अधिकारी जो एमसीटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व में दिए गए दो अवसरों पर चूक गए हैं, वे अपने लिए तीसरे अवसर के अनुमोदन हेतु संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के नाम एवं अन्य विवरण 'संलग्नक-1' पर क्रम सं. 1 से 3 तक वर्णित हैं।

सूची तैयार करते समय प.व.ज.प.मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आई.एफ.एस. सिविल लिस्ट-2017 की सहायता ली गई है, तथापि, संभव है कि कुछ अधिकारियों, विशेषतः उन अधिकारियों के नाम इस सूची में शामिल न किए गए हों, जो उल्लिखित सिविल लिस्ट के तैयार होने के बाद भारतीय वन सेवा में शामिल हुए हैं और उन्हें उसके बाद आबंटन-वर्ष आबंटित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, संबंधित प्रशासनिक विभाग और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया वे 'संलग्नक-1' का अवलोकन कर ऐसे अधिकारियों को नामित करने की व्यवस्था करें जो उपरोक्त आबंटन वर्ष के दायरे में आते

so that further approval may not be required for inclusion of the officers from S.No. 61 to 109 due to dropouts from S.No. 1 to 60.

3. As the above training programmes are being organized in association with National/International institutions and also involve tour component within the country participation of individual officer needs to be confirmed well in advance both by the concerned States as well as by the participants themselves. This may kindly be done latest by 30.07.2018. It is also mentioned that keeping in view the advance ticket booking and other commitments involved in the conduct of the training programme, it would not be possible to change a confirmed nomination to the training programme.

4. You are requested to direct the concerned officers about the programme details and ask them to be in complete readiness. As the Academy has enabled the facility of online registration at its website (www.ignfa.gov.in), the officers may also be directed to **register online latest by 30.07.2018.**


Further, the States are also requested to take advance action to ensure release of the nominated officers in time to enable them to join the training programme on 10.09.2018 at the Indian Institute of Management (IIM), Lucknow for Management Module. **During the programme, the participants will be provided single accommodation and under no circumstances the family members would be allowed to accompany during the entire training programme including study visit. This may clearly be brought to the notice of officers so that they do not face embarrassment of return of their families from places of training.**

Since the MCT programme is a no leave training, the officers may be advised not to carry any liability during the period of 10th September to 06th October, 2018 for absents from the training.

5. Further, it is worth mentioning that the Indian Forest Service (Pay) Rules have been revised vide notification no. 20011/1/2006-AIS-II dated 21.02.2008 and its amendment through IFS (Pay) Second Amendment Rules, 2008 vide notification no. 14021/3/2008-AIS-II dated 27.09.2008, to make successful completion of these MCT programmes compulsory for award of Junior Administrative grade, IInd Super time scale and further increments to the concerned officers. Therefore, it would be the responsibility of the concerned State Government and the officers themselves to be in a position to attend the programme on first nomination only as per the schedule. Failure to attend the said training, without express approval of MoEF&CC, would mandatorily attract the consequences laid down in the IFS (Pay) Rules, for which this Academy or the MoEF&CC shall not be responsible.

Encl: As above

Yours faithfully,


9-7-2018
(Omkar Singh)
Director, IGNFA

Copy for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Deptt. of Forest, Law and Legislative Affairs, Govt. of Chhattisgarh.
2. The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, Deptt. of Forests, Govt. of Chhattisgarh with a request to kindly direct the officers nominated for the course to visit the IGNFA website www.ignfa.gov.in for further details and complete their on-line registration, which is compulsory.

हैं और एम.सी.टी. कार्यक्रम में नामांकन हेतु अन्य योग्यताएं भी रखते हों। प.व.ज.प.मंत्रालय से पुष्टि होने पर अकादमी द्वारा इन नामों को अगली नामांकन सूची में शामिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देते समय वे कृपया संलग्न सूची में शामिल अधिकारियों में से अपने राज्य के सभी अधिकारियों की प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करें ताकि क्र.सं. 1 से 60 तक वर्णित किसी अधिकारी के शामिल न होने की स्थिति में क्र.सं. 61 से 109 तक वर्णित प्रतीक्षा सूची से किसी अधिकारी की प्रतिभागिता के लिए पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो।

3. चूंकि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विख्यात राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें देश के अंतर्गत कराए जाने वाले दौरे भी शामिल हैं, अतः आवश्यक है कि नामित अधिकारी की प्रतिभागिता की पुष्टि स्वयं अधिकारियों और उनके संबंधित राज्यों द्वारा समय रहते कर दी जाए। कृपया यह पुष्टि अधिकतम 30.07.2018 तक अवश्य कर दी जाए। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अग्रिम टिकट बुकिंग तथा अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुष्ट किए गए नामांकन में अंतिम समय में बदलाव करना संभव नहीं होगा।


4. आपसे अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के विवरण की सूचना देने तथा उन्हें पूर्ण रूप से तैयार रहने के निदेश देने की कृपा करें। अकादमी द्वारा अपनी वेबसाइट (www.ignfa.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है अतः कृपया संबंधित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें कि वे अधिकतम **30.07.2018 तक अपने ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण कर लें।**

साथ ही, राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध है कि नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु समय से कार्यमुक्त करने संबंधी कार्रवाई अग्रिम रूप से कर लें ताकि वे 10.09.2018 को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ में प्रबंधन मॉड्यूल में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकें। **कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को एकल आवास उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण अवधि और अध्ययन दौरों के समय उन्हें अपने परिजनों को साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** कृपया यह बात सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए ताकि उन्हें प्रशिक्षण स्थल से अपने परिजनों को वापस भेजने जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

चूंकि एम.सी.टी. कार्यक्रम एक गैर-अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम है अतः कृपया अधिकारियों को यह सलाह दें कि वे 10.09.2018 से 06.10.2018 के बीच ऐसी कोई जिम्मेदारी न लें जिसके कारण उन्हें प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की आवश्यकता हो।

5. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 21.02.2008 की अधिसूचना सं. 20011/1/2006-AIS-II के द्वारा भा.व.से. (वेतन) नियमावली का पुनरीक्षण किया गया है; तथा दिनांक 27.09.2008 की अधिसूचना सं. 14021/3/2008-AIS-II के द्वारा जारी भा.व.से. (वेतन) द्वितीय वेतन संशोधन नियमावली 2008 के द्वारा इसमें हुए संशोधन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेड प्राप्त करने, ॥ सुपर टाइम स्केल तथा आगे की पदोन्नतियां प्राप्त करने के लिए इन एमसीटी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है। अतएव, यह राज्य सरकार एवं स्वयं संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे पहले ही प्रस्ताव में इस प्रशिक्षण हेतु तय कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित हों। प.व.ज.प. मंत्रालय के स्पष्ट अनुमोदन के बिना उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहने में असफल होना संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भा.व.से. (वेतन) नियमावली में उल्लिखित कार्रवाई को आकर्षित करेगा जिसके लिए यह अकादमी अथवा प.व.ज.परि. मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय,

9-7-2018
(ओमकार सिंह)
निदेशक, इं.गां.रा.व.अ.

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति -

1. प्रमुख सचिव, वन, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार इस निवेदन के साथ कि कृपया उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए नामित अधिकारियों को अन्य सूचनाओं एवं अपने ऑनलाइन पंजीकरण (अनिवार्य) को पूर्ण करने हेतु इं.गां.रा.व.अ. की वेबसाइट www.ignfa.gov.in देखने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें। ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।